न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी गणराज बढ़गोती (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

प्रा0पत्र संख्या--58/2025

प्रा0पत्र प्रविष्टि दिनांक–13.08.2025

निर्णय दिनांक–07.11.2025

1. इस्माईल पुत्र इब्राहीम जाति मुसलमान निवासी जंवाली तह0 पीपलू जिला टोंक हाल इन्द्रगढ तह0 इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज0)
2. फारूख पुत्र इब्राहीम जाति मुसलमान निवासी जंवाली तह0 पीपलू जिला टोंक हाल इन्द्रगढ तह0 इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज0)
3. मुख्तार पुत्र पुत्र इब्राहीम जाति मुसलमान निवासी जंवाली तह0 पीपलू जिला टोंक हाल इन्द्रगढ तह0 इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज0)
4. मेहरून्निसा पुत्री पुत्र इब्राहीम जाति मुसलमान निवासी जंवाली तह0 पीपलू जिला टोंक हाल इन्द्रगढ तह0 इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज0)

प्रार्थीगण

बनाम

तहसीलदार पीपलू जिला टोंक (राज0)

प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि भूमि आरांजी ख0न0 103, 92 कुल किता 02 कुल रकबा 0.1896 हैक्ट. व ख0न0 108 रकबा 0.2529 हैक्ट. व ख0न0 1041, 385, 93 कुल किता 03 कुल रकबा 1.8587 हैक्ट. वाके ग्राम जंवाली, पटवार हल्का जंवाली तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। उक्त आराजीयात मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड के आवेदकगण की माता का 1/20 हिस्सा है। उक्त आराजीयात मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड के आवेदकगण की माता का 1/20 हिस्सा है। उक्त आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण की माता का नाम मु. काली अंकित कर रखा है, जबकि आवेदकगण की माता का सही एवं वास्तविक नाम शरफोबाई है। आवेदकगण की माता शरफोबाई का दिनांक 20.10.2000 को स्वर्गवास हो चुका है। आवेदकगण की माता के द्वारा छोडी गई उक्त आराजीयात पर आवेदकगण बहैसियत मालिक, स्वामी के काबिज है। उक्त आराजीयात पूर्व में आवेदकगण के पिता इब्राहीम के नाम थी। आवेदकगण के पिता इब्राहीम का वर्षो पूर्व देहान्त हो गया था। जिनकी विरासत का नामान्तकरण भरा गया। उसमें आवेदकगण की माता का नाम गांव वालो द्वारा काली बता दिया गया।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

जिससे आवेदकगण की माता का नाम मु. काली पत्नि इब्राहीम अंकित कर दिया। अतः आवेदन मय शपथ पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी ख0न0 103, 92 कुल किता 02 कुल रकबा 0.1896 हैक्ट. व ख0न0 108 रकबा 0.2529 हैक्ट. व ख0न0 1041, 385, 93 कुल किता 03 कुल रकबा 1.8587 हैक्ट. वाके ग्राम जंवाली, पटवार हल्का जंवाली के राजस्व रिकॉर्ड में आवेदकगण की माता का नाम गलत रूप से मु. काली अंकित हो रखा है, के स्थान पर उसका सही एवं वास्तविक नाम शरफोबाई अंकित करवाया जाकर त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को दुरूस्त करवाया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू की गई तथा अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू से राजस्व रिकॉर्ड की तथ्यात्मक रिपोर्ट व जवाब चाहा गया। तहसीलदार पीपलू ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि ख0न0 103, 92 कुल किता 02 कुल रकबा 0.1896 हैक्ट. वाके ग्राम जंवाली के खातेदार अब्दूल हकीम खां पुत्र चांद, मु. काली पत्नि इब्राहीम, फरीदा बानो पत्नि गुलाब, सुजात खां पुत्र जोहरी खां जाति मुसलमान व ख0न0 108 रकबा 0.2529 हैक्ट. वाके ग्राम जंवाली अब्दूल हकीम खां पुत्र चांद, मु. काली पत्नि इब्राहीम, रशीदा बानो पत्नि रमजान, सुजात खां पुत्र जोहरी खां जाति मुसलमान व ख0न0 1041, 385, 93 कुल किता 03 कुल रकबा 1.8587 हैक्ट. वाके ग्राम जंवाली में खातेदार अब्दूल हकीम खां पुत्र चांद, नजमा पत्नि शब्बीर खान, मु. काली पत्नि इब्राहीम, सुजात खां पुत्र जोहरी खां जाति मुसलमान के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। मुताबिक प्रार्थना पत्र आवेदकगण मु. काली के स्थान पर शरफोबाई करवाना चाहते है। संलग्न पहचान पत्र में शरफोबाई पत्नि इब्राहीम पता 20 क अम्बार शहर, इन्द्रगढ, तह0 पाटन जिला बूंदी व संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र में शरफोबाई पत्नि इब्राहीम पता पुरानी कोतवाली वार्ड संख्या 11 इन्द्रगढ, बूंदी अंकित है। कैम्प में मजमेआम में जांच कर मौका पर्चा बनाया गया। मुताबिक मौका पर्चा बोलता नाम काली होना बताया गया एवं पूर्व में ही इन्द्रगढ जिला बूंदी रहना बताया गया है।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट पर बहस का निवेदन किया। बहस उभयपक्ष सुनी। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए कहा कि भूमि आराजी ख0न0 103, 92, 108, 1041, 385, 93 वाके ग्राम जंवाली में स्थित है। उक्त आराजीयात मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड के आवेदकगण की माता का 1/20 हिस्सा है। उक्त आराजीयात मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड के आवेदकगण की माता का 1/20 हिस्सा है। उक्त आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण की माता का नाम मु. काली अंकित कर रखा है, जबकि आवेदकगण की माता का सही एवं वास्तविक नाम शरफोबाई है। आवेदकगण की माता शरफोबाई का दिनांक 20.10.2000 को स्वर्गवास हो चुका है। आवेदकगण की माता के द्वारा छोडी गई उक्त आराजीयात पर आवेदकगण बहैसियत मालिक, स्वामी के काबिज है। उक्त आराजीयात पूर्व में आवेदकगण के पिता इब्राहीम के नाम थी। आवेदकगण के पिता इब्राहीम का वर्षो पूर्व देहान्त हो गया था। जिनकी विरासत का नामान्तकरण भरा गया। उसमें आवेदकगण की माता का नाम गांव वालो द्वारा काली बता दिया गया। जिससे आवेदकगण की माता का नाम मु.

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

काली पत्नि इब्राहीम अंकित कर दिया। अतः निवेदन है कि भूमि आराजी ख0न0 103, 92, 108, 1041, 385, 93 वाके ग्राम जंवाली के राजस्व रिकॉर्ड में आवेदकगण की माता का नाम गलत रूप से मु. काली अंकित हो रखा है, के स्थान पर उसका सही एवं वास्तविक नाम शरफोबाई अंकित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि ख0न0 103, 92, 108, 1041, 385, 93 वाके ग्राम जंवाली में प्रार्थीगण की माता सहखातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। आवेदकगण मु. काली के स्थान पर शरफोबाई करवानां चाहते है। प्रार्थीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत पहचान पत्र में प्रार्थीगण की माता का नाम शरफोबाई पत्नि इब्राहीम पता 20 क अम्बार शहर, इन्द्रगढ, तह0 पाटन जिला बूंदी व संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र में शरफोबाई पत्नि इब्राहीम पता पुरानी कोतवाली वार्ड संख्या 11 इन्द्रगढ, बूंदी अंकित है। कैम्प में मजमेआम में जांच कर मौका पर्चा बनाया गया। मुताबिक मौका पर्चा बोलता नाम काली होना बताया गया एवं पूर्व में ही इन्द्रगढ जिला बूंदी रहना बताया गया है।

हमने पत्रावली व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा मतदाता पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र व अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया व उभयपक्ष बहस पर मनन किया। उक्त अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की माता का सही नाम शरफोबाई है, जबकि भूमि आराजी ख0न0 103, 92, 108, 1041, 385, 93 वाके ग्राम जंवाली, पटवार हल्का जंवाली में प्रार्थीगण की माता का नाम मु. काली पत्नि इब्राहीम दर्ज हैं। जो त्रुटीपूर्ण है। अतः उक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण की माता के त्रुटीपूर्ण नाम मु. काली पत्नि इब्राहीम के स्थान पर शुद्ध नाम शरफोबाई पत्नि इब्राहीम जाति मुसलमान दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय आज दिनांक 07.11.2025 में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं नियमानुसार दफ्तर दाखिल हो।

(ग[illegible] आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, पीपलू
जिला टोंक (राज0)